एक दिवसीय विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन हेतु अर्हताएंः–

- **उक्त शिविर जनपद में महिला कल्याण क्षेत्र में कार्यरत प्रतिष्ठित एन0जी0ओ0 के माध्यम से कराया जाएगा।**
- **कार्यक्रम आयोजित करने वाले एन0जी0ओ0, कम से कम 03 वर्ष पूर्व सक्षम संस्था से पंजीकृत होना चाहिए।**
- **इच्छुक एन0जी0ओ0 द्वारा आयोग को कार्यक्रम आयोजित करने हेतु आवेदन करना होगा, जिसके लिए निम्न औपचारिकताएं अनिवार्य होंगीः–**

➢ प्रस्ताव के साथ संगठन का बॉयलाज लगाया जाना अनिवार्य है।

➢ प्रस्ताव के साथ संस्था की 03 वर्ष की बैलेन्स सीट/आडिट रिपोर्ट लगाया जाना अनिवार्य है।

➢ एन0जी0ओ0 को किसी भी संस्था द्वारा ब्लैक लिस्ट न किए जाने के सम्बन्ध में शपथ पत्र रू0 10 स्टैम्प पेपर के साथ संलग्न कर उपलब्ध कराना होगा।

➢ संस्था के पैनकार्ड की छायाप्रति।

➢ कार्यक्रम हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी/किसी अन्य सरकारी संगठन की संस्तुति के साथ उपलब्ध कराए गए प्रस्तावों को वरियता दी जाएगी।

➢ एन0जी0ओ0 द्वारा गत वित्तीय वर्ष में महिला जागरूकता सम्बन्धी किए गए कार्यक्रमों की संक्षिप्त रिपोर्ट।

- **कार्यक्रम कराए जाने सम्बन्धी बिन्दुः–**

(1) कार्यक्रम 2 से 3 घण्टे की अवधि का होगा।

(2) कार्यक्रम हेतु आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए नमूने के अनुरूप बैनर तैयार कराना होगा।

(3) विभिन्न विषयों पर व्याख्यान देने हेतु जनपद के महिला न्यायिक अधिकारी/अधिवक्ता, महिला चिकित्सक एवं महिला कल्याण से जुड़े समाज सेवियों, स्थानीय प्रशासनिक/पुलिस अधिकारियों को आमंत्रित कर उपस्थित महिलाओं को महिलाओं से सम्बन्धित आपराधिक धाराओं, कानूनों,विधिक अधिकारों तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयों पर व्याख्यान कराना।

(4) व्याख्यान में भरण–पोषण अधिनियम,घरेलू हिंसा सम्बन्धी अधिनियम, बाल विवाह, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न एवं कन्या भ्रूण हत्या जैसी संवेदनशील मुद्दों के साथ–साथ प्रदेश में महिलाओं के कल्याणार्थ विभिन्न विभागों द्वारा चलायी जा रही योजनाओं की विस्तृत जानकारी देना।

(5) कार्यक्रम की पर्याप्त फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी।

(6) कार्यक्रम का स्थानीय मीडिया में पर्याप्त प्रचार–प्रसार।

(7) आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए साहित्य का वितरण।

(8) कार्यक्रम की कार्यवृत्ति, उपस्थित महिलाओं एवं सम्मानित प्रतिभागियों के नाम व हस्ताक्षर युक्त पंजिका तैयार कराया जाना।

(9) लगभग 20–30 मिनट का महिला उत्पीड़न, छेड़छाड़, महिलाओं को अपमानित, कन्या भ्रूण हत्या एवं महिलाओं पर प्राणघातक हमला आदि के दुष्परिणामों पर आधारित नुक्कड़ नाटक का आयोजन।

(10) आयोग के थीम सांग का मंचन।

नोट

- कार्यक्रम हेतु स्थान, तिथि व समय का चयन कर आमंत्रित वक्ताओं की सूची एवं अनुमानित प्रतिभागी महिलाओं की संख्या सहित प्रस्ताव आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
- प्रस्ताव स्वीकृत होने के उपरान्त आयोग द्वारा कार्यदायी संस्था के नाम कार्यादेश जारी किया जायेगा। कार्यदायी संस्था को कार्यादेश में दिये गये निदेशों के अनुरूप कार्यक्रम आयोजित करना होगा।
- चयनित एन0जी0ओ0 को कार्यक्रम के उपरान्त सम्बन्धित आयोग के पदाधिकारियों की रिपोर्ट, न्यूनतम 20 फोटोग्राफ, विडियोसीडी, पेपर कटिंग सहित विस्तृत आख्या प्रेषण करनी होगी। आख्या के द्वितीय भाग में कार्यक्रम सम्बन्धी आउचर्स (वक्ताओं का मानदेय, फोटोग्राफी बिल, नुक्कड़ नाटक, साउण्ड, बैनर, प्रचार–प्रसार एवं नाश्ता आदि सम्बन्धी) मूलरूप में प्रमाणित कर आयोग को उपलब्ध कराए जाने होगें। प्रत्येक कार्यक्रम के लिए बाउचर्स के सापेक्ष अधिकतम रू0 15,000/– का भुगतान किया जाएगा।